भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3627

उत्तर देने की तारीख : 24.03.2022

वक्फ संपत्तियां

3627. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) संपूर्ण देश में डिजिटलीकरण, जीआईएस/जीपीएस मानचित्रण, वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और विकास के संबंध में सरकार द्वारा चलाई जा रहीं/प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्रीय वक्फ परिषद का देश के विभिन्न राज्यों में प्रमुख वक्फ केंद्रों में सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन सामान्य सेवा केंद्रों द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदान की जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या इसमें अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित महिलाओं के विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की योजना भी शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क) यह मंत्रालय केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) के माध्यम से दो योजनाएं अर्थात् i) कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कियाती योजना (QWBTS) और ii) शहरी वक्फ संपति विकास योजना (SWSVY) कार्यान्वित कर रहा है। QWBTS के तहत, SWB के बेहतर प्रशासन के लिए जनशक्ति जैसे कि सहायक प्रोग्रामर, जीआईएस-डिजिटाइजेशन सुपरवाइजर, म्यूटेशन सहायक, मुतवल्ली परिवर्तन सहायता सहायक, मुतवल्ली विवरणी सहायता सहायक, पट्टाकरण सहायता सहायक, लिटिगेशन ट्रैकिंग सहायता सहायक, जोनल वक्फ अधिकारी, सर्वेक्षण सहायक और डाटा प्रविष्टि अधिकारी की तैनाती, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा की स्थापना, केंद्रीकृत कंप्यूटिंग सुविधा (CCF) और उद्यम संसाधन योजना (ERP) समाधान के रखरखाव आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस मंत्रालय द्वारा वक्फ से संबंधित मुकदमों के प्रबंधन/ट्रैकिंग, वक्फ सम्पत्तियों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण एवं डिजिटिकरण, वक्फ संपत्तियों का अतिक्रमण रोकने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) मैपिंग के लिए WAMSI

(भारत की वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली) नामक एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है। अब तक 7,94,875 (सात लाख चौरानबे हजार आठ सौ पचहत्तर) अचल वक्फ संपत्तियां WAMSI पंजीकरण मॉड्यूल में दर्ज की गई है और 2,44,006 (दो लाख चवालीस हजार छः) वक्फ संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग की गई है। पहली बार 3,32,344 (तीन लाख बत्तीस हजार तीन सौ चवालीस) वक्फ संपदाओं के अभिलेखों को डिजिटिकृत किया गया है। एसडब्ल्यूएसवीवाई के तहत, शहरी वक्फ भूमि पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं जैसे कि वाणिज्यिक परिसरों, मैरिज हॉल, अस्पतालों, कोल्ड स्टोरेज आदि को शुरू करने के लिए वक्फ संस्थानों/वक्फ बोर्डों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।

(ख) से (ङ) जी हाँ, केंद्रीय वक्फ परिषद मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय, चयनित एसडब्ल्यूबी में सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। सीएससी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संचालित की जाएगी। प्रत्येक पीआईए को प्रति वर्ष अधिकतम 10.00 लाख रु. की सहायता प्रदान की जा सकती है। सीएससी का उद्देश्य प्रवेश की प्रक्रिया जैसे कि आवेदन जमा करना, दस्तावेजों को अपलोड करना आदि में ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करते हुए गरीब और वंचित वर्गों की लड़कियों सहित मुस्लिम बच्चों को लाभ प्रदान करना है।

*****